लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर जनघोषणापत्र और भाजपा के घोषणापत्र की तुलनात्मक समीक्षा

जन घोषणापत्र	भाजपा
स्वास्थ्य	
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक 2009 लागू किया जाए। • स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए। • जीवन रक्षक दवाईयों का निःशुल्क वितरण् तथा सभी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। • सरकार द्वारा संचालित बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि में सामाजिक संगठनों की भूमिका भी सुनिश्चित हों। • सभी के लिए सुरक्षित पीने के पानी और शौचालय की सुविधा हों।	• जटिल स्वास्थ्य सेवाओं चुनौतियों का सामना करने के लिए नई स्वास्थ्य नीति। • सुलभ, सस्ती और प्रभावी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन। • स्वास्थ्य सेवाओं में पेशेवरों की कमी को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता। • व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता। • बाल स्वास्थ्य के लिए अग्रकय देखभाल मॉडल। • कुपोषण उन्मूलन के लिए परियोजना। • ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर। • खुले में शौचमुक्त भारत बनाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
शिक्षा	
• शिक्षा पर व्यय बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जाए। • मिड–डे मील का भेदभाव बिना वितरण सुनिसचीत किया जाएँ। • प्री–स्कूल में पढ़ रहे बच्चो को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए। • सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने की जरूरत। • सघन भर्ती अभियान के माध्यम से 11,80,000 शिक्षकों की भर्ती।	• शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटन। • शिक्षण स्टाफ के साथ जुड़े वेतन ढांचे, देश में शिक्षकों की कमी और संबंधित मुद्दों का समाधान। • सर्व शिक्षा अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना जो इसके प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी दे सके। • विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा शास्त्र अलग से विकसित किया जाएगा। • लड़कियां की शिक्षा जारी रखने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। • मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंधन और वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मे आमूलचूल परिवर्तन।
रोजगार	
• मनरेगा के तहत एक परिवार के दो सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 200 दिन काम। • वित्तीय प्रवास को रोकने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत। • शहरी रोजगार के लिए कानून। • परंपरागत आजीविका, कारीगर कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय समर्थन एवं खेती के तरीकों में सुधार। • उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, और राष्ट्रीय आजीविका मिशन का दायरा बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन।	• उच्च प्रभाव डोमेन (कपड़ा, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) श्रम प्रधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विकास पर जोर। • इनफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग अपग्रडेशन द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर। • उद्यमिता को प्रोत्साहन और क्रेडिट की सुविधा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उद्यमिता पर बल। • राष्ट्रीय मल्टी–स्किल मिशन और कृषि के पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों की मजबूती पर खास ध्यान।
खाद्य सुरक्षा	
• खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी को कवर किया जाए • दालों और खाद्य तेल को खाद्यान्न पात्रता (फूड एंटाइटेलमेंट) में शामिल किया जाए। • खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम, होर्डिंग, अटकलें और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान। • कुपोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता। महिलाओं और लड़कियों में कुपोषण दूर करने पर विशेष जोर। • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां के लिए पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करें।	• खाद्य सुरक्षा का एक भ्रष्टाचार मुक्त कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श में सभी कानूनों और योजनाओं की समीक्षा। • सफल पीडीएस मॉडल की समीक्षा और सर्वोत्तम प्रेक्टिसस को अपनाने पर ध्यान। • अल्पपोषण और कुपोषण को दूर करने की दिशा मे काम। • अनाज, दालों और तेलों के उत्पादन को बढ़ावा। • समुदाय रसोई चलाने में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी। • समुदाय रसोई चलाने में स्वैच्छिक संगठनों • एक मिशन के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम, विशेष रूप से पोषण और गर्भावस्था के डोमेन पर ध्यान। ग्रामीण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर जोर।की भागीदारी।
भूमि और वन अधिकार	
• वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा। • ग्राम सभा की सहमति के बिना वन भूमि का हस्तांतरण ना किया जाए। • पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम / पेसा एक्ट को सभी जगह लागू किया जाए।	• गैर कृषि योग्य भूमि के वैज्ञानिक अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति। • यह सुनिश्चित किया जाएगा की आदिवासी अपनी जमीन से जुदा ना हो।
कृषि रू जीविका का साधन	
• मनरेगा के कार्यों में अनुमत सूची के तहत खेत मजदूर शामिल करे। • जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। • गैर कृषि क्षेत्र में किसानों के बड़े पैमाने पर पलायन और किसानों के आत्महत्या की जांच के लिए नीतियां बनाने की जरूरत। • स्थाई खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य बल का गठन। • यह सुनिश्चित किया जाएँ की किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हों। • पंचायत स्तर पर राज्य के स्वामित्व वाले बीज बैंकों और अनाज भंडारण की व्यवस्था के लिए लिए निवेश • जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसलों और बीजों के उत्पादन पर रोक।	• कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने पर ध्यान। • कृषि को मनरेगा से जोड़ने की पहल। • जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जैविक खेती एवं उर्वरक निगम की स्थापना। • आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ (जेनेटिक मॉडिफाइड) को पूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी • अनाज की बर्बादी को कम करने के लिए उपभोक्ता अनुकूल किसानों के लिए बाजार ताकि किसानो की आय बढ़ाई जा सके और खेती में जोखिम कम किया जा सके। • खेती मे नयी तकनीकों और अधिक उपज देने वाली बीज के उपयोग पर बल।
महिला अधिकार	
• महिला आरक्षण बिल तत्काल प्रभाव से पास हो। • महिलाओं के लिए निष्पक्ष और समान संसाधन वितरण, रोजगार और आय के अवसर सुनिश्चित किये जाऐ। • महिलाओं के संपदा (जमीन जायदाद, जंगल इत्यादि) संबंधित अधिकारों की सुरक्षा हों। • घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दहेज निषेध कानून के रूप में कानूनी सुरक्षा उपायों के कठोर कार्यान्वयन द्वारा हिंसा के सभी रूपों से महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रखें। • देश भर में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना। • सभी जिला मुख्यालयों में महिला पुलिस थाने और हर पुलिस स्टेशन में महिला सेल की स्थापना। • एक लिंग संवेदनशील जलवायु परिवर्तन नीति अपनाने पर ध्यान।	• संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण। • बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ – राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत। • महिलाओं से संबंधित कानूनों (विशेष रूप से बलात्कार से संबंधित) का कड़ाई से कार्यान्वयन। • पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने, और विभिन्न स्तरों पर पुलिस में महिलाओं की संख्या में वृद्धि पर बल। • संपत्ति के अधिकार, वैवाहिक अधिकारों और सहवास अधिकार में किसी भी प्रकार की लिंग असमानता को खत्म करने पर जोर। • कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और पारिवारिक हिंसा खत्म करने के लिए उचित कदम। • हर घर में बिजली, पानी, स्वच्छ ईंधन और शौचालय उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन पर विशेष ध्यान। • न्यायपालिका के सभी परतों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट।
युवा एवं बाल अधिकार	
• कुल केंद्रीय बजट का 10% तक बच्चों के लिए आवंटित हो। • पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कार्यान्वयन। • 18 वर्ष की आयु से नीचे हर किसी को बच्चे के रूप में परिभाषित करने के लिए बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) में संशोधन। • आरटीई के प्रावधानों के तहत 18 साल से नीचे के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें। • बच्चों व् युवाओं की संसद और ग्राम सभा जैसे कार्यक्रम आयोजित हों। • कक्षा दस तक पास ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। • राजनीति और शासन के केंद्र में युवाओं को रखें। • बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें।	• कन्या भ्रुण हत्या पर रोक के लिए उचित उपाय। • विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, प्रवासियों, बस्तीयों और सड़क पर रहने वाले लोगों, कमजोर समुदायों के लोगों और विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान। • आरटीई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। • बाल और किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2012 और समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को मजबूत बनाने पर बल। • राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद का गठन। • बच्चों व् युवाओं की संसद जैसे कार्यक्रम ग्राम स्तर पर देश भर में आयोजित किये जायें • जरूरत आधारित कौशल विकास ताकि हमारे युवा सबसे अधिक परिष्कृत नौकरियों में रोजगार पा सके।
दलित, आदिवासी, मुस्लिम और विकलांग	
• एससीएसपी और टीएसपी पर विधान। • मुसलमानो पर रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति की रिपोर्ट का समुचित कार्यान्वयन। • लाखों दलितों और आदिवासियों की मुक्ति के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (1976) को सख्ती से लागू करना। • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू करना। • सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को पारित करनाथ्ं। • विकलांगता बिल (2009) को पारित करना। • महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और विकलांगों के लिए बने आयोगों के कामकाज में सुधार। • मछुआरे समुदाय को सागर / पानी जनजाति घोषित किया जाए।	• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आवंटित फंड का समुचित उपयोग। • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए उच्च प्राथमिकता शिक्षा और उद्यमशीलता के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा। • एक मिशन मोड परियोजना के तहत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर जोर। • आदिवासी जनजाति कल्याण और विकास के लिए अधिक धन आवंटन। • अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं विशेषकर बालिकाओं को भेदभाव के बिना शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएँगे। • एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा जहाँ अपराधियों या शोषकों के लिए कोई जगह न हो। • विकलांगता विधेयक का अधिनियमीकरण। • सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक भवनों और परिवहन को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
जवाबदेह सरकार	
• जनता की उचित भागीदारी और निगरानी के लिए तंत्र को सशक्त बनाना। • जवाबदेही लागू करने में नागरिक समाज की भूमिका को संस्थागत करना। • सभी सरकारी कार्यक्रमों की वित्तीय और परिचालन संबंधित जानकारियों / विवरणों का सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होना। • ग्राम सभा के निर्णय का सम्मान करेंय उसके कामकाज को मजबूत बनाने पर बल देने की जरूरत। • प्रगतिशील कराधान नीतियों जैसे प्रत्यक्ष कर दरों में बढ़ोतरी के जरिए अधिक से अधिक सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना। • अप्रत्यक्ष कर की दरों में कमी की जाए ताकि गरीब और निचले तबके के लोगों को राहत प्रदान की जा सके।	• निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाएगा, सरकार में खुलापन को प्रोत्साहन। • सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा, सामाजिक और पर्यावरण ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। • प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित तंत्र के माध्यम से प्रशासनिक सुधार। • ग्राम सभा की संस्था को मजबूत बनाने पर जोर एवं विकास की प्रक्रिया के लिए उनकी पहल और जानकारी को सम्मान दिया जाएगा। • सक्रिय रूप से विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से नीति निर्माण और मूल्यांकन में लोगों को शामिल किया जाएगा। • भ्रष्टाचार और देरी को कम करने के लिए सभी सरकारी काम के डिजिटलीकरण किया जाएगा। • एक गैर विरोधात्मक और अनुकूल कर वातावरण प्रदान करेंगे। • कर व्यवस्था को युक्तिसंगत और आसान बनाने पर विशेष ध्यान।
मानवाधिकार	
• मेट्रो शहरों में पूर्वोत्तर के युवाओं पर नस्लवादी हमले को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत। • ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे सभी जनविरोधी, लोकतंत्र विरोधी कानूनों का समापन करना। • माओवादी क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपराधीकरण समाप्त करना। • आदिवासियों का अपराधीकरण बंद किया जाए। • उत्तर पूर्व, जम्मू एवं कश्मीर, माओवादी बहुल इलाकों में लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। • भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करना और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। • आवास के अधिकार को बुनियादी मानव अधिकार के रूप में पहचाना जाए। • उचित न्यायिक और पुलिस सुधारों की जरूरत।	• देश भर में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए उपाय। • कम लागत के आवास कार्यक्रम के तहत हर नागरिक के लिए एक पक्का मकान। • जाँचों को तुरत, निष्पक्ष, पारदर्शी, स्पष्ट बनाना पर जोर।न्यायिक सुधारों को उच्च प्राथमिकता। • आधुनिक समय में कम्यूनिटी पुलिसिंग की सदियों पुरानी अवधारणा की फिर से व्याख्या। सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्रों में विस्तार सहित पुलिस और लोगों के बीच विश्वास और दोस्ती बनाने के लिए नये तरीको का विकास। • लोक अदालत, मध्यस्थता और सुलह केन्द्रों की तरह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के विकास पर विशेष जोर। • जटिल कानूनों को सरल बनाने की कानूनी प्रणाली की व्यापक समीक्षा। साथ ही विरोधाभासी और अनावश्यक कानूनों को दूर करने पर ध्यान। • न्यायपालिका के सभी परतों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार।

जनघोषणा पत्र पर राष्ट्रीय मंचः अलाइयेन्स फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड डेवेलपमेंट, कैंपेन अगेन्स्ट डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड राइट कॉलिशन, इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूट, नेशनल आदिवासी सॉलिडॅरिटी काउन्सिल, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, कासा, पूअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी, नाइन इज माइन, ऑक्सफैम इंडिया, आर टी आई फोरम, सेव द चिल्ड्रेन, यूथ अनमेनीफेस्टो, वादा ना तोडो अभियान, वर्ल्ड विजन, जी कैप.